अनुसार... 906/2855 से उसके ... कलाबाई, मोहनबाई पुत्रीयां नाराय...

प्रदर्श–2 के अनुसार वर्तमान में उक्त वादगत भूमि ... स. पुरानी 409 ... 390 वाके माल ग्राम चेचट संवत 2070–2073 अनुसार प्रतिवादीगण कम 2,3,4,5,6 के ... दर्ज रेकार्ड है। जो कि वादी के वाद को सही होना प्रमाणित करती है। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने के लिये वादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–5 की विवेचना अनुसार उक्त वादगतभूमि वादी तथा प्रतिवादी कम 1 की मुताबिक विकय पत्र दिनांक 11.11.2008 कयशुदा भूमि है। जिसके अनुसार वह विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अतः इस प्रकार यह तनकी बहक वाद तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 2 लगायत 6 पर था। इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो कि इस तनकी को सही होना प्रमाणित करता हो। प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी कम 2 लगायत 6 तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 2 लगायत 6 पर था। इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो कि इस तनकी को सही होना प्रमाणित करता हो। प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी भी खिलाफ प्रतिवादी कम 2 लगायत 6 तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5 :– अनुतोष।

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचना उपरान्त दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रदर्श–3, के अनुसार उक्त भूमि में बेचानकर्ता रूपाबाई के फौत हो जाने के कारण नामा0 नं. 906/2855 से उसके स्थान पर दर्ज किये गये उसके वारिसान बालाराम ,छोटूलाल पिस. नारायण पुत्र, कंवरबाई, कलाबाई, मोहनबाई पुत्रीयां नारायण हिस्सा 1/5 खाते से खारिज किया जाकर उसके स्थान परबेचानकर्ता रूपाबाई पत्नि नारायण माली द्वारा अपने जीवनकाल में आराजी ख.न. 1158 की 5 बीघा 5 बिस्वा में से हिस्सा 1/3 खसरा नम्बर 1160 की रकवा 6 बीघा 1 बिस्वा में से हिस्सा 1/6 तथा ख. न. 1162 की रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा में से हिस्सा 1/6 बिल एवज 323750 रूपये में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 को बेचान कर दिये जाने के फलस्वरूप राजस्व रेकार्ड में मुताबिक विकय पत्र नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

तत्पश्चात वादी की कयशुदा आराजी का नियमानुसार राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के प्रावधान अनुसार खाता विभाजन किया जावे। वादी को बाद विभाजन पृथक से खातेदार घोषित किया जाता है।तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकार्ड में आदेश की पालना करवाई जाकर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के प्रावधान अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। तदनुसार प्राथमिक डिकरी मुर्तिब हो। प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सुनाया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक . को पेश हो।

अनिल कुमार सिंघल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.